## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-3 / 53 / 2018 / 10-11 / 15 / प्रति.

भोपाल, दिनांक

वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन,

जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

### विषय:-जिला शिवपुरी के अंतर्गत सरकुला मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 126.42 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. क्र. 8-31/2021-FC दि. 11.01.2022

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे चाही गई अतिरिक्त xiii बिन्दुओं जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त कर बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्रं.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
i	The area proposed for diversion is more than 40 ha. therefore the Site Inspection Report of concerned CF/CCF is required to be submitted. The inspection report shall also include the the DFL and NFL proposed for Compensatory Afforestation.	मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आनलाईन भाग—II की अतिरिक्त जानकारी की टेबल के बिन्दु क्रमांक—3 में अपलोड कर दी गई है।
ii	The satellite imagery shows the presence of agricultural lands within the forest area proposed for diversion. This needs clarification.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित वनभूमि मे कोई कृषि भूमि नहीं आती है। गुगल इमेज पर कुछ अतिक्रमण दिख रहे है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये रिक्त कराया जायेगा।
iii	The satellite imagery shows the presence of road, check-dams etc with in the forest land proposed for diversion. This needs clarification.	वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनभूमि पर पूर्व से ही चेक डेम निर्मित है तथा पूर्व से निर्मित कच्चे मार्ग का उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जाता है।
iv	The DSS analysis has revealed that after superimposing the complete project boundary of 320.784 ha over the forest compartment boundary available on the DSS portal, the actual forest area affected through the instant proposal is found to be 208.252 ha instead of 126.42 ha. The user agency needs to submit the revised proposal accordingly with all relevant documents.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी ने अवगत कराया है, कि उक्त परियोजना में 126.42 हेक्टेयर वनभूमि ही प्रभावित हो रही है। पोर्टल पर अपलोड KML फाईल में त्रुटि होने के कारण प्रभावित रकबा अधिक प्रतीत होता है। शिवपुरी वनमण्डल में आने वाले समस्त वनक्षेत्र की संशोधित KML फाईल आनलाईन भाग—II के बिन्दु क्रं.—13 (iv) के नीचे बिन्दु क्रं.—4 मे 0 हेक्टे. के रूप में अपलोड कर दी गई है।

V	The DFO, Shivpuri in his Site Inspection Report has mentioned that "an extent of 126.50 ha non-forest land proposed by the user agency towards CA is not suitable for lantation. The reasons for non-suitability and justification for accepting such unsuitable non-forest land for CA may be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि में उपयुक्त स्थलों पर 60से.मी.x 60से.मी.x 60से.मी के 50400 गड्ढे खोदकर पौधे रोपित किए जावेगें। एवं शेष बचे पौधो को बिगड़े वन क्षेत्र मे रोपित किया जावेगें।
vi	The DSS analysis has revealed that the CA patches proposed on the forest land i.e. RF 432 has a steep slope and in another CA patch namely PF885 a river tributary is passing through it. The state govt. may there fore re-examine the uitability of CA land.	वन कक्ष क्रमांक 432 एवं 885 की चयनित वन भूमि का सुधार कर KML फाईल वेबपोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
vii	The copy of CAT plan as submitted does not show that the same is approved by the Principal CCF & HoFF or any other officer authorized by him for the purpose as prescribed under the Chapter-9 at para 9.2 (vi) of Comprehensive guideline Handbook, 2019. The same needs submission.	आवेदक संस्था ने जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना प्रस्ताव के भाग—1 में अपलोड कर दी है। इस उपचार योजना की तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2022 से जारी की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
viii	The state govt. may also specify whether the dam to be constructed will be an earthen dam or otherwise.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है, कि बांध का निर्माण मिट्टी एवं कॉन्क्रीट दोनों से किया जावेगा।
ix	The plan with details for further distributing the water and involvement of forest land in the same may also be submitted.	पीने के लिए किया जावेगा। इन कार्यों के लिये पृथक से वनभूमि नहीं दी जायेगी।
X	Out of 126.42 ha of forest land involved 117.24 is going to get submerged however rest of the land is being taken for activities like spillway, control room, road etc. Why can't these facilities be constructed on non-forest land? This needs clarification.	इस संबंध मे आवेदक संस्था ने अवगत कराया है, कि बांध के लिए कुल 126.42 हे0 वनभूमि की आवश्यकता है। जिसमे से डूब हेतु 117.24 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त स्पिल वे, कन्ट्रोल रूम एवं रोड का निर्माण किया जायेगा। स्पिल वे बांध का ही हिस्सा है, जिसको बांध के साथ ही निर्मित किया जायेगा। कन्ट्रोल रूम बांध के समीप ही निर्मित किया जाता है। तथा बांध के आस—पास कोई भी राजस्व अथवा निजी भूमि नहीं है। अतः इनका निर्माण भी वनभूमि मे किया जायेगा।

xi	Project employment details given in the Part-I of the application do not match with the extent of project and the budget involved. The same needs clarification.	इस संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है, कि बांध निर्माण की अवधि 42 माह निर्धारित है। अतः बांध निर्माण अवधि हेतु लगभग 20 अधिकारी, कर्मचारी प्रतिदिन के मान से 42 माह के लिए स्थाई रूप से रोजगार पांएगे एवं श्रमिक व अन्य 29 कर्मचारी प्रतिदिन के मान से 30 माह के लिए रोजगार पांएगे। इस प्रकार परियोजना पूरी होने तक कुल 27000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
xii	Details of 3 alternatives are not justifiable. The term Live capacity used may also be elaborated.	इस संबंध मे आवेदक संस्था ने अवगत कराया है, कि बांध रेखा क्रमांक—1 प्रस्तावित बांध रेखा से 350 मी0 नीचे एवं बांध रेखा क्रमांक—2 प्रस्तावित बांध रेखा से 780 मी0 नीचे है। यदि बांध, बांध रेखा क्रमांक—1 पर निर्माण करते है, तो वनभूमि प्रस्तावित बांध रेखा से 21.80 हे0 अधिक डूबेगी। इसी प्रकार यदि बांध रेखा क्रमांक—2 पर निर्माण करते है, तो वनभूमि प्रस्तावित बांध रेखा से 43.10 हे0 अधिक डूबेगी। प्रस्तावित बांध रेखा पर बांध का निर्माण करने पर लागत भी कम आएगी तथा वनभूमि भी कम डूबेगी। अतः प्रस्तावित बांध रेखा तीनों बांध रेखाओं मे से सबसे उपयुक्त है। बांध मे भरने वाले पानी की क्षमता को जीवित क्षमता (Live Capacity) कहते है। जिसका उपयोगा सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए किया जायेगा।
xiii	The rates of NPV have now been revised by the Ministry vide letter dated 06/01/2022, therefore the Cost Benefit analysis has to revised accordingly. The estimated cost of the project may also be cross checked.	में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त जानकारी संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्वांति स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल पृ. क्रमांक / एफ-3 / 53 / 2018 / 10-11 / 15 / 5 / 6 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/2/22

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
 वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

## Site Inspection by the CCF- Shivpuri (M.P.) Sarkula Medium Lift Irrigation Project District. Shivpuri (PROP. NO. FP/MP/IRRIG/34676/2018)

Sr. No.	Perticular	Inspection Report by CCF (T)
1	Extent in hactares	126.42 hact.
2	Location (LatLong.) of the forest	Attached
	land proposed for diversion.	Actoried
3	Legal status of the forest land	Protected forest
	(Protected forest, Reserved forest,	Compt. No. PF 760 ,PF782, PF783
	Revenue forest land or any other	12
	forest land.)	
4	Demarcation of the area with	Demarcation of the area and construction of cairns has bee
	temporary cairns etc.	done.
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up	Nil
	within the forest land or adjoining	INII
	non forest land as part of the	
	proposed project by user agency.	twi
	Details of action taken against the	,
	user agency in case of violation of	
		II 3
	the FC Act and guidelines there under.	
	dilder.	W 950
7	Status of vegetation, site quality,	Mixed forest of middle and young age
	species composition etc.	Site quality -Vb
		Crop composition - khair , kardhai and miscllaneous species
	Importance of area from wildlife	Occasional presence of jackal. No endangered species of
	point of view, Status of wildlife	wildlife found.
- 1	(density and abundanceof	Tourid.
	important species, bird life	
	reptiles, butterflies and other	397
	scheduled animals any	
	endangered wildlife). Any latest	8
	census of wildlife in this area.	
	sil	38
1	Endemism of flora/ fauna or any	. Nil
0	other unique ecosystem in the	, IVII
100	area.	
0	Current land use. Is this area	The area is managed upday BDS - 151
	managed as per preseriptions in	The area is managed under RDF and Plantation working circle
	the working plan and if not why.	acourding to working plan in force
1.1	HE WOLKING DIST SPORT POT WAS	

Sr. No.	- Citicular	Inspection Report by CCF (T)
11		EVII
12	Any dependent persons/families on this land	Nil
13	Any desplacement of person proposed	140
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement plan for the person to be affected? Is there and dissention.	s
15	Compensatory afforestation proposed on forest land or nonforest land.  Location of the area, suitability of the area for CA. If in the degrated forest land then what is the current working plan prescription for the area? Destance of the nonforest land for CA from the nearest forest area. Number of pathes in case the area should be more than 10 km.	Shivpuri district(M.P.) in lieu of 126.42 ha.forest land proposed for diversion. But this area is not suitable for plantation. Hence 57.00 ha. of forest land in compartment No. P 1057 and R432 of Karera range and 50.00 ha. of forest land in comp. No. P885 of Satanwada range is proposed for CA. Detailed CA Scheme has been prepared for these sites along with Budgetary provisions. CCF Shivpuri has accorded necessary T.S. for C.A. Scheme. Distance - proposed area itself is forest land
17	Dependence of tribal's in the area. Whether the rights of the tribal's have been recognized in this area.	None
18	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project.	Constrution of Sarkula Dam will provide water for Irrigation and Drinking in the adjioning area. Employment for the people of Shivpuri distirct will be made available.
	In case of renewal whether all the conditions stipulated N/A In the earlier sanction order have been complied with	Nil
	Alternative examined by the user agency in case of non site specific projects.	This project is site specific.

主

Sr. No.	Citicular	. Inspection Report by CCF (T)
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forest purposes is bare minimum.	A MINEAUTE IS ACCIDED
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Minimum area of submergence has been taken
23	Any other issue of significance.	
	, source of significance.	None
24	Specific recommendation of the CCF with reason for approval of the project.	No alternative being available for the project, sanction for the project is Recommended as per rules.

Chief Conservator Of Forest

Circle: Shivpuri (T)
Place: Shivpuri (M.P.)
Date: 16/01/2022

#### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म०प्र०)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2022/ 389

शिवपुरी, दिनांक/ 2001/2022

प्रति.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) म.प्र. भोपाल

विषय:- जिला शिवपुरी के अंतर्गत सरकुला मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
126.42 हैक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर दने वावत्।
संदर्भ:- आपका पृष्ठांकन क्रमांक / एफ -3/53/2018/10-11/15/116 दिनांक 12.01,2022

--00--

विषयांकित के संबंध में एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है इस कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दु वार निम्नानुसार है:-

- बिन्दु क्रमांक 2 :- पिरयोजना अंतर्गत वन पिरक्षेत्र पोहरी में व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वन भूमि
   126.42 हैक्टेयर का मौका निरीक्षण किया गया , जिसके अनुसार प्रभावित वन भूमि के अंतर्गत
   कोई कृषि भूमि नहीं आती है । मौके पर दिख रही कृषि भूमि वन सीमा से बाहर है ।
- बिन्दु क्रमांक 3 :-परियोजना अंतर्गत व्यवर्तन हेतु प्रभावित वन भूमि 126.42 हैक्टेयर क्षेत्र में पूर्व से निर्मित चैकडेम है तथा स्थानीय लोगो द्वारा उपयोग किये जा रहे कच्चे मार्ग एवं निरीक्षण पथ है ।
- 3. 'बिन्दु क्रमांक 4 :- परियोजना अंतर्गत वन परिक्षेत्र पोहरी में व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वन भूमि 126.42 हैक्टेयर का मौका निरीक्षण किया गया ,जिसके अनुसार मौके पर वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना (2018–19 से 2027–28तक) एवं पूर्व विगत कार्य आयोजना (2007–08 से 2016–17 तक) के मानचित्रों का परीक्षण किया गया । मौका अनुसार प्रभावित वन भूमि संरक्षित वनखण्ड उपसिल के अंतर्गत है । वनखण्ड उपसिल के वन खण्ड इतिहास के मानचित्र एवं अधिसूचना (दिनांक 26 मई 1967) का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वनखण्ड उपसिल की उत्तरी सीमा सुकला (सरकुला) नदी बनाती है । जिसका मौका निरीक्षण किया गया तो वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना (2018–19 से 2027–28 तक) के मानचित्र को सही पाया गया । जिसके अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्रभावित व्यपवर्तित वन भूमि 126.42 हैक्टेयर ही आती है ।

संलग्न :- मौका पंचनामा , वनखण्ड की अधिसूचना , वनखण्ड मानचित्र एवं प्रचलित एवं विगत कार्य आयोजना के अनुसार व्यपवर्तित वन भूमि दर्शाते हुये मानचित्र ।

बिन्दु क्रमांक 5:— सरकुला मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा ग्राम टोका में राजस्व भूमि 126.50 हैक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु सुरक्षित की गई थी, आपके पत्र क्रमांक एफ-3/53/2018/10-11/15

सियाई

Deena

अपर प्रधान मुख्य वन सरवाकर (नू-प्रवच) मध्यप्रदेश, भोपाल /3296 दिनांक 29.09.2021 के पालन में वन परिक्षेत्राधिकारी शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिसके अनुसार गैर वन भूमि पर 60C.M.X60C.M.X60 C.M.के 50400 गडडे खोदे जा सकते है, रोपण कार्य किया जा सकता है, तथा भू जल संरक्षण कार्य भी किये जा सकते है । राजस्व भूमि 126.50 हेक्टेयर (NFL) का घेराव किया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त 127 हैक्टेयर (DFL) वन भूमि पर भी रोपण कार्य प्रस्तावित है ।

संलग्न :- के.एम.एल. फाइल ।

बिन्दु क्रमांक 6 :- वन परिक्षेत्राधिकारी सतनवाडा एवं करैरा द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि कक्ष क्रमांक पी 885 एवं आर 432 का मौंका निरीक्षण कर पुनः के.एम.एल.तैयार की गई है, जिसके अनुसार पी 885 में पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाला नाला एवं आर 432 में Steep Slope वृक्षारोपण क्षेत्र से बाहर बाहर हो गया है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(मीना कुमारी मिश्रा )

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

शिवपुरी, दिनांक/20-0 | -2022

प्॰क्रमांक/डी.एम./2022/ 39०

प्रतिलिपि :-


मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


सम्प्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

Sarkula medium lift irrigation project Submergence with Old working plan (Period 2007-08 to 2016-17) compartment boundary Legend Control Room Power House Switch Yard Building 1:15,000 Maintainance Road - HT Line --- Aproch Road-1 ==== Aproch Road-2 - Direct Pumping - Dam Line Rising Main Dam Line Spilway Submergence inside Forest Total Submergence Area Compartment Old Working Plan 760 IN. RANGE COMPARTMENT Old Working Plan PF-782 12.55 170.47 Submergence Total Area in Forest PF-760 & PF-782 1.66 PF-760 1.00 Switch Yard Building (Total Area 0.44 0.25 PF-760 Aproch Road-2 PF-760 0.59 PF-760 HT Line Direct Pumping 0.12 PF-760 Total Area in Forest: 210,44 77°22'0"E 77°21'0"E 77°21'30"E





हम पंचान नीचे लिखे पंचनामे पर सही - सही दस्ताहा - परने वाले आज हिनांड 18/01/2022 को यह सच-सच पंचनामा लिखा देते हैं। न्मीमान वनमण्याधिकारी वन मण्य शिवपुरी, 39 वनमण्याधिकारी 34 वन मण्य शिषपुरी, वन पारेशेत्र आध्यकारी वन परिश्लोत्र पोटरी, पः सटाः शिषपुरी-व अन्य वन इल सरित सरकुला मी प्रथम लिए इरीजीशन प्रोजेकर के सेवर वन परिहोत्र पोहरी में प्रभावित वन भूमि 126.42 हेक्टेमर है मांवा विकास के मोंदा रूपल पर पहुंच वर मोंदा मुआयना विया । मेंदि पा वर्तमान पन्याली मार्म आयोजना (वर्ष 2018-19 में 2027-28 तड) एवं युर्व विश्वम कार्म आयोजन -(वर्ष २००७-०१ से २०१६-१२ तक) के मानाचित्रों का प्रीहाण विया मिना उसा सेरिहीत वन खण्ड उपसिल आता है। तत्पर्यात वनरवं उपसिल के वनरवं -डितिहास के मानियम एवं वन २वध की अधिसूचना (२६मई 1967) वा प्रीया विभा तो पाया वि वनस्वण उपसिल की उत्तरी सीमा सुकला (सरकुला नही वन भी है। जिसके अनुसार प्रकृतिय सीमा (सुबला सरकुला नहीं) वा मीवा विद्याल विमा तो प्रचातित नवीन कार्य आमोजना (वर्ष २०१८-१९ से २०२न-२८ तक) है-मानियत्र को सटी पामा | इस अनुसार व्यख्ना मीडियम लिप्ट इसी ज मिनेक्ट के अंतर्गत प्रभावित झामे 126. 42 हेक्ट्यर टी आती हैं जो सात है। माना पंपनामा बनाया सो सही है वक्त जरहरत वाम आवे / पंपनामा पराव पद्कर सुना वाद राजी दस्ताहार किये। पंचनामां मेरे दारा लिखा गया।

आर्शिष समाधिया पुरुष समाधिया पुरुष स्टार सिवपुर्श <u>। १००० कार्टी</u>

भाषा ११ मिनोर्ज केल्ला मिट १९१व वर्षी

के कि एक कार्य

कर्मा कार्य के कार्य के आप के

18/01/2022 (antivernite as 121 antivernite as 121 antivernite as 121

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क. 3679 । तक. । सरकुला /2022/ शिवपुरी प्रति,

दिनांक 18-1-22

प्रधान मुख्य

वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध )

सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल

विषय:

मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के जलसंसाधन विभाग सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना

के निर्माण हेतु 126.42 हेक्ट.वन भूमि का डायवर्सन बावत।

आपका पत्र क्रएफ-3/53/2018/10-11/15/115भोपाल दिनांक 12/01/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में पूँछी गई बिंदुवार जानकारियां निम्नानुसार हैं

	9	
बिंद् क.	पत्र में पूँछी गई जानकारी	पूँछी गई जानकारी का जबाब
vii.	The copy of CAT plan as submitted does not show that the same is approved by the Principal CCF & HoFF or any other officer authorized by him for the purpose as prescribed under the Chapter-9 at para 9.2 (vi) of Comprehensive guideline Handbook, 2019. The same needs submission.	मेरे द्वारा कैट प्लान आपकी और अनुमोदन हेतु पूर्व में प्रस्तुत कर दिया गया है।
viii	The state govt may also specify whether the dam to be constructed will be an earthen dam or otherwise	सरकुला बाँध का निर्माण मिट्टी एवं कॉन्क्रीट दोनों से किया जायेगा।
ix	The plan with details for further distributing the water and involvement of forest land in the same may also be submitted.	सरकुला बाँध में जो पानी भरा जायेगा उसका उपयोग सिंवाई र पीने के लिए किया जायेगा।
x	Out of 126.42 ha of forest land involved 117.24 is going to get submerged however rest of the land is being taken for activities like spillway, control room, road etc. Why can't these facilities be constructed on non-forest land? This needs clarification.	बाँध के लिए कुल 126.42 हैक्ट. वनभूमि की आवश्यकता है जिसमें से 117.24 हैक्ट. वनभूमि मुख्य बाँध के लिए शेच वनभूमि में स्पिलवे,कंट्रोल रूम एवं रोड का निर्माण किया जायेगा। स्पिलवे बांध का ही हिस्सा है जिसको बांध के साथ ही निर्मित किया जायेगा, कंट्रोल रूम बांध के समीप ही निर्मित
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	किया जाता है तथा बांध के आस-पास कोई भी राजस्व अथवा निजी भूमि नहीं है। अतः इनका निर्माण भी वनभूमि में ही किया जायेगा।
xi	Project employment details given in the Part-I of the application do not match with the extent of project and the budget involved. The same needs clarification.	बांध निर्माण की अवधि 42 माह निर्धारित है अतः निर्मार अवधि में हेतु लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन के मान से 42 माह के लिए स्थाई रूप से रोजगार पाएंगे एवं श्रमिक व अन्य 29 कर्मचारी प्रतिदिन के मान से 30 माह के लिए
		रोजगार पाएंगे इस प्रकार परियोजना पूरी होने तक कुल 27000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
xii	Details of 3 alternatives are not justifiable. The term Live capacity used may also be elaborated.	बांध रेखा क्र.1 प्रस्तावित बांध रेखा से 350 मी. नीचे एवं बांध रेखा क्र.2 प्रस्तावित बांध रेखा से 780 मी. नीचे हैं। यदि बांध ,बांध रेखा क्र.1 पर निर्माण करते हैं तो वनभू रे प्रस्तावित बांध रेखा से 21.80 हेक्ट अधिक डूबेगी इसी नीड

		कार्यपुलिन यंत्री जलसंसाधन संभाग ,शिवप्री (म.प्र.)
xiii	The rates of NPV have now been revised by the Alinistry vide latter dated 06/01/2022, therefore the Cost Benefit analysis has to revised accordingly. The estimated cost of the project may also be cross checked	Cost Benefit analysis, Govt. Of India ministry of Environment, Forest and Climate Change दिनांक 08/01/2022 के पत्रानुसार कर संखरन कर दिया गया है।
		यदि बांध , बांध रेखा क्र.2 पर निर्माण करते हैं तो वनभूमिं प्रस्तावित बांध रेखा से 43.10 हेक्ट अधिक इबेगी। प्रस्तावित बांध रेखा पर बांध का निर्माण करने पर लागत भी कम आएगी तथा वनभूमि भी कम इबेगी। अतः प्रस्तावित बांध रेखा तीनों बांध रेखाओं में से सबसे उपयुक्त है। बांध में भरने वाले पानी की क्षमता को जीवित क्षमता (Live Capacity ) कहते हैं जिसका उपयोग सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए किया जायेगा।

। तक. । सरकुला ।२०२२। शिवपुरी

विनांक

प्रतितिपि ।

(1) प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग 1250 तुलसी नगर भोपाल मध्य प्रदेश।

(2) मुख्य अभियंता यमुना कछार जलसंसाधन विभाग ग्वालियर। (3)मुख्य वन संरक्षक,(क्षेत्रीय)शिवपुरी ,मृत शिवपुरी। (4)वन मंडलाधिकारी ,सामान्य वन मंडल शिवपुरी।

(5) अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मंडल ग्वालियर।

(6) अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंशाग क्र.2 शिवपुरी की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जलसंसाधन संभाग ,शिवपुरी (म.प्र.)

## SARKULA MEDIUM PROJECT

Cost of Benefit Analysis
(as per GOI.MOEF&CC dtd.06.01.2022)

## Table-B Estimation of diversion. forest

1.	Ecosystem services losses due to proposed forest diverson.	Ecosystem services due to diverson by the central powered committee as per the forest classification report of proposed Sarkula medium lift irrigation project is Rs. 6.36 Lakhs/Ha. Cost of land = 126.50 X 9.57= Rs. 1210.60 Lakhs
2.	Loss of animal Husbandry productivity including cost of fodder.	As per the cost guideline i.e. 10% N.P.V. 0.957 Lakhs per H.a. = 126.50 X 0.957= Rs. 121.05 Lakh.
3.	Cost of human resettlement	There is no human resettlement due to proposed Sarkula medium lift irrigation project. Hence cost of Human resettlement if Nil.
4.	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, building, school, dispensaries, electric lines, railways etc.) on forest land if these facilities were diverted due to the project.	There is no loss of public facilities and administrative infrastructure of forest land due to construction of Sarkula medium lift irrigation project. NO cost has been added on this account.
5.	Possession value of forest land diverted	The possession value of forest land diverted is taken 30% of N.P.V. due to loss of forest i.e. Rs. 2.87 Lakhs/Ha = 126.50 X 2.87 = Rs. 363.05 Lakhs.
6.	Cost of suffering to oustees.	Not applicable.
7.	Habitat fragmentation cost.	Forest land if being acquired for submergence of Sarkula medium lift irrigation project. There is no amount taken under this account.
8.	Compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost.	The cost @ Rs. 4.00 Lakhs per Ha. is taken for Compensatory afforestation and soil and moisture conservation. Hence amount will be = 126.50 X 4.00 = Rs. 506.00 Lakhs.
9.	Total Cost due to forest land diverstion	Total Cost due to forest land diverstion for Sarkula medium lift irrigation project will be = 1210.60 + 121.06 + 363.05 + 506.00 = 2200.71 Lakhs.

Sub Divisional officer
Water Resources Sub Division No.2
Shivpuri (M.P.)

Executive Engineer
Water Resources Division
Shivpuri (M.P.)

## Table - C Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CBA

1.	Increase in productivity affribute to the specific project.	Increase productivity will be 2 or 2.5 times more then before. Due to this project ground water level will increase in surrounding. irrigation of 6500 Ha. of command area will also increase the productivity. Project also reserve the water for Drinking purpose for block Pohari.
2.	Benefits to economy due to the specific project.	Sarkula medium lift irrigation project will be trigger economy development about Rs. 3392.00 Lakhs benefitted per year.
3.	No. of population benefitted due to specific project.	project is located in backward area of the village. After completion of project approx. 15000 Cultivators will be benefitted and water level will be increased in surrounding area. This project will also facilitate drinking water supply to Pohari.
4.	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.	The project will be provided direct employment for approximate 115200 man-day during cunstruction period. (42 Months)
5.	Economic benefits due to compensatory afforestation	An economics benefits due to compenstory has considered as per the benefit of C.A. guidelines of ministry for N.P.V. estimation.

### Cost Benefit Analysis :-

Total cost due to forest loss (Rs. In lacs) -2200.71

Total benefit due to Project (Rs. In lacs) -2705.50

Cost benefit Ratio =1.23

Benefit cost ratio =0.81

Sub Divisional officer Water Resources Sub Division No.2 Shivpuri (M.P.) Executive Engineer
Water Resources Division
Shivpuri (M.P.)

#### SARKULA MEDIUM PROJECT

#### **Cost Benefit Analysis**

Benefit cost Ratio of Project = 2705.50/2200.71

B.C. Ratio of Project =

1.23

Benefit cost ratio=

0.81

Sub Divisional officer Water Resources Sub Division No.2

Shivpuri (M.P.)

Executive Engineer
Water Resources Division
Shivpuri (M.P.)